




फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मंजू बनाम कैलाश (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 53 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.3.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
5/6/23	<p>पत्रावली मंजू-रहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत सिद्धियास में पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर से सम्म हो।</p> <p> हुकम चन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p> 	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सि.ग. अधिकारी - हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 53/23 प्रा०पत्र

- 1- श्रीमती मंजू लाला देवुर्जर निवासी - लक्ष्मीपुरा हाल गिवासी कड़ा कावागुवा, वंदी तहसील - गाडल जिला - भीलवाडा [कौरी]

-प्रार्थी

वनाम

- 1- श्री कैलाश जी० सुभा गायक निवासी - लक्ष्मीपुरा तहसील - गाडल [कौरी] (सहायक नि.गा०पत्र) रा.भू.रा.अधि. 1956

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 05.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सिडियारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 487/59 52 कुल किता 0.2 रकबा 0.4300 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.03.23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का सिडियारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 487/59 52 कुल किता 0.2 रकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लक्ष्मीपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दियस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023